

वकील वादी की J.P.L ने पेश किया

1. वाद अन्दर नियामक पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद पत्र के संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

2

हरताक्षर रीडर

12-6-19

रिपोर्ट सरिरता देखी गई वादी वकील उपस्थित है। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जय सम्मन् / नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली वास्ते तलवी एवं जवाब दिनांक 10-7-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

10/7/19

पत्रावली पेश हुई। बार बीच द्वारा हड़ताल/सोकसभा/न्यायिक वेगरी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठारीन आज्ञा है अधिकारी महोदय बुधवार/अन्य राजस्व कार्य 2 रीडर प्रत्यक्ष/अन्यकार्य में पत्रावली के पत्रावली दिनांक 7/8/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

23-7-19 छा पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा छा पत्र का निवेदन किया है कि सख्तुं से स न गलत अंकित हो गया है अतः वाद की कार्य वादी द्वारा खि जावे। अतः छा पत्र का अवलोकन केन्द्र में स्थित है कि वकील वादी वाद में कोई कार्य वादी गरी-बाहल है अतः वाद की ग्राम किया जाकर पत्रावली पेशक द्वारा होकर गया से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़